संख्या-244/22-2-2014-17(67)/2014

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक अगस्त, 2015

विषयः- जिला कारागर, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धन्ना उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री महीपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1588/पो0-5-दया0-अन्य-118/10-12-2013 दिनांक 17-01-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी धन्ना उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री महीपाल, ग्राम-केरटू थाना-झिंझाना, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा खेत की मेड काटने के विवाद को लेकर दिनांक 18-07-1999 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1403/99 एवं भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-।। मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 09-02-2005 को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर क्रिमिनल अपील संख्या-828/2005 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30-09-2012 तक तक 13 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में बताया गया है कि बन्दी द्वारा अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दया याचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी धन्ना उर्फ धर्मेन्द्र (बन्दी संख्या-414/07) पुत्र श्री महीपाल, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर वर्तमान शामली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-244/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर वर्तमान शामली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in